

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४९ का नियम १२१)

आदेश पत्रक - ता०..... से..... तक
जिला....., सं०....., दर्ता०.....
केस का प्रकार.....

आदेश की रूपांतरणीय तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-राहित
--------------------------	--------------------------------	---

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपीलवाद संख्या:- १८०/२०१३

युगेश्वरी देवी.....अपीलकर्ता

-बनाम-

नूनूलाल यादव एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद युगेश्वरी देवी, पति-स्व० लक्ष्मण राम, सा०-मौरा रामनगर, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा सदर के भूमि विवाद वाद सं०-७४/२०१२ व २५०/२०१२ में दिनांक-२८.०८.२०१२ को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है, जिसमें नूनूलाल यादव व गजेन्द्र यादव व राजेन्द्र यादव व गुलाब यादव व धर्म यादव व रत्न यादव व पवन यादव सभी पिता-सुरज यादव तथा सूर्यनारायण यादव, पिता-स्व० फणी यादव, सा०-मौरा रामनगर, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा को प्रतिवादी बनाया गया है।

वाद की सुनवाई से अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद के अंतिम निष्पादन में उनकी कोई रुचि नहीं है। अतः संबंधित पक्षों की अनुपस्थिति के आधार पर वाद को Dismiss for default के कारण खरिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापिता एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

व्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक २०५२

संपत्/विधि

सहरसा, दिनांक २६-८-२०२२

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहता, मधेपुरा सदर को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपील वाद सं-०-१८०/२०१३ में दिनांक-२१.०८.२०२३ को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न व्यायालय भूमि विवाद वाद सं-०-७४/२०१२ एवं ३५०/२०१२ से संबंधित अभिलेख कुल-७४ पञ्च मूल में वापस किया जाता है।

प्रतिलिपि:- श्रीमती युगेश्वरी देवी, पति-स्व० लक्ष्मण राम / नूकलाल यादव व गजेन्द्र यादव व राजेन्द्र यादव व गुलाब यादव व धरम यादव व रतन यादव व पवन यादव, सभी पिता-सुरज यादव / सूर्यनारायण यादव, पिता-स्व० फनी यादव, सभी सा०-मौरा रामनगर, थाना-शंकरपुर, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।